SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

MKS/1/2011/MHRD1/DEEDUC/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated 23/08/2012

To

The Director
NIIT
Corporate Office NIIT House 8 Balaji Estate
Sudharshan Manjil Marg Kalkaji
New Delhi-110011

Sub: Proceeding of the Sitting held on 14/11/2011 in the National Commission for Scheduled Tribes in case of Shri Madan kumar Sah.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the proceedings on the subject cited above and to request you to kindly send the action taken report on the proceedings to this Commission at the earliest.

Yours faithfully

(N.K. Maran)
Research Officer

Enclosures: As above

Copy alongwith the copy of proceedings to Shri Madan Kumar Sah House No. 340 Sector 13, Vasundhara Ghaziabad, Uttar Pradesh-201012 for information.

3677-78
27/8/12
जारी किया
ISSUED

(N.K. Maran)
Research Officer

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

(2)

एमकेएस-1/2011/एमएचआरडीI/डीडब्लयूडीयूसी-आर.यू.-III

जीएनआईआईटी प्रीत विहार, नई दिल्ली में जीनिट डिप्लोमा कोर्स मे एडमिशन उपरान्त जीनिट मैनेजमेन्ट द्वारा आवेदक को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना तथा अनावश्यक रूप से तंग किये जाने संबंधी मामले में हुई बैठक दिनांक 14-11-2011 के कार्यवृत

बैठक में मुख्यतः निम्न अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया:-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	श्री बी.एल.मीणा	सदस्य
2.	श्री एन.के.मारन	अनुसंधान अधिकारी

जीएनआईआईटी अधिकारीगण

1.	श्री वेणु गोपाल	कांउसेल एवं लीगल एडवाइजर
2.	श्री संजय के.	-तदैव-

आवेदक पक्ष

1.	श्री मदन कुमार शाह	

श्री मदन कुमार शाह, स्थायी निवासी ग्राम - मुड़वॉ, पोस्ट-गम्हरियां, जिला - छपरा (बिहार) वर्तमान पता 13/340, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ने एक अभ्यावेदन को दिनांक 22/12/2010 को प्रस्तुत किया । श्री शाह ने सूचित किया कि एनआईआईटी (NIIT), प्रीत विहार, नई दिल्ली मे जीनिट (GNIIT) डिप्लोमा कोर्स के लिए वर्ष 2005 में एडमिशन लिया था जिसके लिए फीस स्ट्रकचर के हिसाब से 1.00 लाख रू. सेमिस्टरवार के हिसाब से किश्तों में भुगतान किया गया तथा अंत में 15,000/-रू. प्लेसमेंट स्वरूप मांग करने पर जमा कराया गया । अंत में जब डिप्लोमा कोर्स अवधि पूरी हुई तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया किन्तु एनआईआईटी, प्रीत विहार, नई दिल्ली द्वारा यह कह कर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि उनके सिमेस्टरों में 60% से कम अंक प्राप्त हुए है ।

प्राथी ने यह भी जानकारी दी कि उसकी 25 वर्ष की उम्र सीमा को पार कर लेने पर भी जीएनआईआईटी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जो कि जीएनआईआईटी के स्वयं के नियमों के विपरीत था ।

जीनिट ने पीपी के नाम से जो 15300/-रू. जमा कराए हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो भी रूपए जमा करवा लिए तथा आवेदक को इसका उचित लाभ भी नहीं दिया गया । आवेदन को प्रमाण-पत्र व टी.पी. का झूठा आश्वासन भी दिया गया ।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

आवेदक ने यह भी बताया कि आवेदक को जीनिट का सर्टिफिकेट भी बार-बार अनुरोध करने पर भी नहीं दिया जा रहा है । जीनिट के इस रवैये से आवेदक काफी आहत है तथा मानसिक एवं आर्थिक कष्ट से पीड़ित है । नियमानुसार आवेदक को उचित राहत दिलायी जाए । इस संबंध में श्री मदन कुमार शाह ने एक अनुवर्त्ती अभ्यावेदन दिनांक 17-02-2011 आयोग को भेजा । इस मामले में आवश्यक कारवाई हेतू आयोग द्वारा निदेशक, एनआईआईटी, कालकाजी, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 23-02-2011 को भेजा गया । दिनांक 30-03-2011 को अभ्यावेदक द्वारा एक अनुवर्ती अभ्यावेदन आयोग के सदस्य, श्री बी.एल.मीण को भी दिया गया । आयोग द्वारा इस संबंध में एक अनुस्मरण पत्र दिनांक 04-04-2011 निदेशक, एनआईआईटी को भेजा गया ।

अभ्यावेदक श्री शाह ने एक अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 01-04-2011 को आयोग को प्रस्तुत किया जिस पर कमेन्टस हेतू निदेशक, एनआईआईटी को आयोग के पत्र दिनांक 11-08-2011 द्वारा लिखा गया । इसी क्रम में श्री शाह ने एक और अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 06-09-2011 आयोग के सदस्य, श्री बी.एल.मीणा को प्रस्तुत किया जिस पर दिए गए आदेशानुसार निदेशक एनआईआईटी कालकाजी, नई दिल्ली को मामले पर चर्चा करने के लिए दिनांक 27-09-2011 को आयोग में बुलाया गया था परन्तु कुछ कारणों से बैठक स्थगित हुई जो कि बाद में दिनांक 14-11-2011 को सम्पन्न हुई ।

एनआईआईटी लिमिटेड ने दिनांक 16-03-2011 को एक उत्तर पत्र आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें सूचित किया कि

1. श्री शाह को जीनिट कोर्स के लिए मई, 2006 में पंजीकृत किया गया । कोर्स में 4 सिमेस्टरों का अध्ययन कराया जाता है और 2 सिमेस्टरों में व्यावसायिक प्रैक्टीस करायी जाती है ।
2. श्री शाह ने 4 सिमेस्टर पूरे किए जिनमें क्रमशः सिमेस्टर -I में 36%, सिमेस्टर - II में 46%, सिमेस्टर - III में 39%, और सिमेस्टर - IV में 44% अंक प्राप्त किए हैं ।
3. विद्यार्थी नियम पुस्तिका के उपबंध 2.8 के अनुसार प्रत्येक सिमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी को सिमेस्टर वेटेज एवरेज परफोरमेन्स 50% आवश्यक है ।
4. विद्यार्थी नियम पुस्तिका के उपबंध 6.3.1 के अनुसार व्यावसायिक प्रैक्टीस के लिए विद्यार्थी को चारों सिमेस्टरों में कम से कम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है जबकि श्री शाह के 41% अंक रहे हैं । इसलिए वह व्यावसायिक प्रैक्टीस के लिए योग्य नहीं है।
5. श्री शाह उपरोक्त अनुसार (बिन्दु 3 व 4) न तो ग्रेड सर्टिफिकेट के लिए पात्र रहे हैं तथा न ही व्यावसायिक प्रैक्टीस के लिए ।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(4)

श्री शाह ने एनआईआईटी को दिसम्बर, 2009 में डाउन ग्रेड सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध किया तद्नुसार श्री शाह को एनआईआईटी द्वारा उक्त सर्टिफिकेट सिमेस्टरवार देने के लिए विचार किया किन्तु श्री शाह ने चारों सिमेस्टरों को पूर्ण कर लेने का एक सर्टिफिकेट मांगा गया जिस पर एनआईआईटी सेन्टर द्वारा विचार किया जाना नियमानुसार संभव नहीं होना बताया गया ।

7. इस तथ्य के बावजूद श्री शाह के हित में सलाह दी गयी कि वह सप्लीमेन्टरी परीक्षा के द्वारा सिमेस्टर क्लीयर हेतु अतिरिक्त चांस ले सकते हैं ।

निष्कर्ष :

एनआईआईटी ने आयोग को अनुरोध किया कि श्री शाह को उक्त बिन्दु 7 के अनुसार अवसर लेने के लिए सलाह दी जाए । उन्होंने यह भी कहा कि यदि श्री शाह उनसे जमा कराये रू.15300/- वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो जीएनआईआईटी उन्हें यह पैसा लौटाने हेतु तैयार है । लम्बी चर्चा उपरान्त आयोग एवे जीएनआईआईटी द्वारा आवेदक को सलाह दी गयी परन्तु आवेदक किसी भी सलाह को मानने को तैयार नहीं है । आवेदक ने जीएनआईआईटी के पूरे सत्रों में प्रवेश लिया परन्तु पास होने हेतु निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाये । आवेदक द्वारा मांगी जा रही क्षतिपूर्ति राशि, आवेदक द्वारा जमा राशि रू. 15300/- अन्य राशि यदि कोई हो जो संस्था को जमा करायी गई एवं वापस की जा सकती है, के अतिरिक्त कोई अन्य राशि दिलाने हेतू इस आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है । आयोग की कार्य करने की अपनी सीमाएँ है । यदि आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्यत्र कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है या आयोग द्वारा व जीएनआईआईटी द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार कर मानने हेतु स्वतंत्र है ।

23/8/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi